<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.
फा.सं.7-1/2023-हिं.अ. दिनांक: 20.03.2023

विषय: <u>संस्थान की वेबसाइट द्विभाषी होने संबंधी।</u>

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.12.2022 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 05 पर समिति द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया था कि:- **"जिस प्रकार संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी रूपांतर हिंदी अनुभाग की निगरानी में होता आ रहा है, ठीक उसी प्रकार संस्थान की वेबसाइट संबंधी हिंदी रूपांतर कार्य भी (आउटसोर्स आधार पर) हिंदी अनुभाग की निगरानी में संचालित किया जाए। इसके लिए कंप्यूटर सुविधा द्वारा संबद्ध विभागों से प्राप्त सामग्री का मानक रूप हिंदी अनुभाग को प्रेषित किया जाएगा जिसे हिंदी अनुभाग द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल के माध्यम से हिंदी अनुवाद करवाकर मानक हिंदी रूप कंप्यूटर सुविधा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। इस मद पर होने वाला व्यय कंप्यूटर सुविधा द्वारा वहन किया जाएगा।"**

अतः संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में **संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध किया जाता है कि अपने विभाग/अनुभाग/केंद्र से संबंधित स्थायी प्रकृति की विषय-वस्तु को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु कंप्यूटर सुविधा को भेजें और संबद्ध विभाग द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सामग्री अद्यतन (updated), पूर्ण एवं वर्तमान वित्त वर्ष की है।**

कंप्यूटर सुविधा की ओर से संबद्ध विभाग द्वारा प्रदत्त उक्त प्रमाणपत्र के साथ अनुवाद सामग्री प्राप्त होने के उपरांत हिंदी अनुभाग द्वारा संस्थान की वेबसाइट पर विभिन्न विभागों/ अनुभागों/केंद्रों से संबंधित स्थायी प्रकृति की विषय-वस्तु को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुवाद एंजेसियों के पैनल के माध्यम से हिंदी रूपांतर उपलब्ध कराया जाएगा तथा वेबसाइट पर द्विभाषी रूप में अपलोड करने हेतु कंप्यूटर सुविधा को उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि संस्थान की वेबसाइट को द्विभाषी रूप में अद्यतन रखा जा सके।

इस मद पर होने वाला व्यय कंप्यूटर सुविधा द्वारा वहन किया जाएगा।

कृपया इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

(नीरज कुमार शर्मा)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

<u>वितरण:-</u> सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि:</u>

- निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के प्रधान निजी सचिव, एम्स, नई दिल्ली।
- संकायाध्यक्ष (शैक्षिक) एवं उपाध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, एम्स महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) महोदया के निजी सचिव:- सूचनार्थ एवं एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।